राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2526/2025

नरेश कुमार खेदड़

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय खेदड़ अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर बी.वी.एच.ओ. पिपराली, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र, राह, जालौर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 500 किमी. दूर किया गया है। अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी का पुत्र सीकर में अध्ययनरत है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध हैं जो वृद्धावस्था की बीमारियों से ग्रसित है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण दूरस्थ किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पडेगा।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते है कि अपीलार्थी वर्तमान है स्थान पर अपने स्वयं के पद पर पदस्थापित न होकर लेब टेक्निशियन के पद के विरूद्ध कार्यरत है। साथ ही प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक

आवश्यकता में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष